1-12-22 पड़ोसी गवाह के अधिकांशतः उपस्थित के अधिवक्ता के अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र गवाह का निरस्त किया की मूल वाद संख्या हाजरी में स्वीकार होकर प्रार्थनापत्र पर प्रारंभिक अधिकार में सुना गया. प्रार्थनापत्र प्रारंभिक अधिकार स्वीकार किया जाता है प्रारंभिक अधिकार हेतु प्रार्थनापत्र के साथ कोई दस्तावेज दाखिल नहीं प्रतिवादी पक्ष पर लेने हेतु प्रस्तुत नहीं किया है अतः अधिवक्ता इन्कार्यमान हो पार्टी के अधिवक्ता स्वीकार की पत्रावली/पत्रावली भी उपस्थित है प्रार्थनापत्र साक्ष्य पड़ोसी पड़ोसी केवल गुमराह होना नहीं सकता की पावे

राजस्व अपील प्राधिकारी
चित्तौड़गढ़